व्यापार एवं कर विभाग

श्री अनिल कुमार वाजपेयी द्वारा उठाया गया तारांकित प्रश्न संख्या 30 दिनांक 09-08-2017 के लिए

क्या उप मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

क.	क्या यह सत्य है कि गांधी नगर विधान सभा क्षेत्र में कपड़े एवम सिले सिलाए वस्त्रो का बाजार एशिया के सबसे बडे बाजार में गिना जाता है और इससे हजारों व्यक्तियों की आजीविका जुडी है।	यह सत्य है कि गांधी नगर कपड़े एवम सिले सिलाए वस्त्रो का एक बडा बाजार है और इससे हजारों व्यक्तियों की आजीविका जुडी है।
ख.	क्या यह भी सत्य है कि सरकार ने इन बाजारों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कपड़े पर लगे 5 प्रतिशत वैट को वापस ले लिया था।	जी हॉ, कपड़ों पर 5 प्रतिशत वैट प्रस्तावित था, जिसे कार्यान्वित नहीं किया गया ।
ग	क्या यह भी सत्य है कि अब केन्द्र सरकार ने जीएसटी के अन्तर्गत कपड़े पर पुनः कर लगा दिया है।	जी हॉ, जीएसटी के अन्तर्गत कपड़े पर 5 प्रतिशत कर लगाया गया है। ।
घ	क्या सरकार को ज्ञात है कि जीएसटी के कारण कई व्यापार बंद हो गए है जिससे आर्थिक नुकसान और बेरोजगारी बढ़ रही है।	इस प्रकार की आधिकारिक जानकारी नहीं है ।
घ	सरकार का इस संबंध में कौन-से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है जिससे व्यापारियो और उनके कर्मचारियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े।	• जी एस टी लागू होने से पहले व्यापार एवं कर विभाग द्वारा दिल्ली की विभिन्न मार्केट ऐशोसियेशन के साथ मिलकर जीएसटी जागरूकता वर्कशॉप का आयोजन किया गया। • व्यापार एवम कर विभाग में जीएसटी सुविधा केन्द्र बनाया गया है जहॉं व्यापारियों की हर तरह की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। • सरकार की तरफ से जीएसटी अधिकारी दिल्ली के विभिन्न बाजारों में जीएसटी सहायता वाहनों द्वारा प्रतिदिन व्यापरियों से संर्पक कर रहे है। • वर्तमान में प्रत्येक जोन में मार्केट ट्रेडर एसोसिएशनों से परामर्श करके जी एस टी कैम्प/स्टाल का आयोजन किया जा रहा है। • दिल्ली के विभिन्न बाजारों में व्यापारियों के लिए जीएसटी सपोर्ट ग्रुप तैयार किया जा रहा है जो मुख्यतः उन व्यापारियों की सहायता करेगें जो दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं । इनमें अधिकतर छोटे व्यापारी हैं जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड से कम है ।

RAJESH MISHRA, IAS
Special Commissioner
Deptt. of Trade & Taxes
Govt. of NCT of Delhi
Vyapar Bhawan, New Delhi

पूरक सामग्री

गांधी नगर मार्केट का परिचय

गांधी नगर मार्किट कपडे व सिले–सिलाए वस्त्रों की थोक मार्किट है । यह मार्किट एशिया की कपडों की बडी मार्किट में से एक है । यहॉ कई बडे कारोबारी हैं जो निर्यात भी करते हैं । यहॉ छोटे–छोटे कारोबारी भी हैं जो कि वस्त्रों की कटिंग वाशिंग सिलाई आदि का काम जाबवर्क के आधार पर भी करते हैं । यह बाजार कई छोटी–छोटी गलियों में हैं । यहॉ कपडों से संबंधित सभी सामान जैसे टेलरिंग मटीरियल, धागा, लेस, बटन आदि भी थोक में बिकता है । दिल्ली के विभिन्न इलाकों में पट्री पर साप्ताहिक बाजार लगाने वाले छोटे–छोटे कारोबारी भी यहॉ से माल खरीदकर बेचते हैं । इसके अतिरिक्त भारत के अन्य राज्यों से भी कई कारोबारी यहॉ आकर माल खरीदते हैं और विभिन्न राज्यों में माल सप्लाई भी होता है । इस थोक बाजार से कई कामगार वर्ग के लोगों जैसे मजदूर, हाथ ठेला, रिक्शा चालक आदि को भी रोजगार मिलता है । इस बाजार में सस्ता एवं मंहगा सामान आसानी से उपलब्ध हो जाता है।

कपड़े पर वैट को वापस लेना

दिल्ली विधानसभा ने 2016–2017 के बजट को पारित करते हुए, व्यापारियों की मांग को देखते हुए, कपड़े और जूते पर 5% वैट लगाने का प्रस्ताव वापस ले लिया जिसे पहले कर से छूट दी गई थी। अपने बजट भाषण में उपमुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने खादी और हथकरघा को छोड़कर, सभी किस्मों पर 5% का वैट लागू करने का प्रस्ताव किया था। यह प्रस्ताव पड़ोसी राज्यों में प्रचलित दरों के साथ वैट दर को संतुलित करने के लिए किया गया था परंतु अंत में कपड़े पर वैट नहीं लगाया गया था। लेकिन जी एस टी एक्ट बिल्कुल विभिन्न प्रकार का एक्ट है जिसमें प्रत्येक स्तर पर सप्लाई का आंकलन कर आई टी सी सुनिश्चित की जाती है। इसकी वैट कानून के साथ किसी प्रकार से तुलना उचित नहीं है।

कपड़े पर कराधान की दर

डीवैट अधिनियम 2004 के अनुसूची 1 के अनुसार, कपड़े पर छूट थी। हालांकि, जीएसटी अधिनियम 2017 के आगमन के साथ 30–06–2017 की अधिसूचना 01/2017 की अनुसूची–1 के अनुसार सूती, उनी, रेशमी इत्यादि फैब्रिक पर जीएसटी 5% लगाया गया है। इस संदर्भ में कुछ प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हुए हैं जिनका विवरण निम्नानुसार हैं :–

1 फेडरेशन आफ सूरत टेक्सटाईल टेडर एसोसियेशन

RAJESH MISHRA, IAS
Special Commissioner
Deptt. of Trade & Taxes
Govt. of NCT of Delhi

2 रेडिमेड गारमेंट मर्चेंटस एसोसियेशन

इन प्रतिवेदनों में कपडे, यार्न इत्यादि पर जीएसटी लगाने पर मुख्य रूप से निम्न बिन्दुओं पर आपत्ति/निवेदन किया गया हैं :–

1 कपडे को किसी भी प्रकार के टेक्स से मुक्त किया जाये ।

2 गारमेंट उद्योग पर जाब वर्क जीएसटी दर 5% की जाये।

इन प्रतिवेदनों को जी एस टी काउंसिल को उपयुक्त अनुशंसा के साथ अग्रेषित किया जा रहा है।

व्यापारियों में भ्रांति हैं कि उन पर जीएसटी लगाने पर अतिरिक्त भार आ गया हैं परन्तु यह सत्य नहीं है क्योंकि जब फाईनल उत्पाद को बेचा जायेगा तो व्यापारी को इन पुट टेक्स केडिट मिलेगा ।

<u>जीएसटी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उठाए गए कदम</u>

दिल्ली के व्यापारियों में जागरूकता पैदा करने और कठिनाइयों के समाधान के लिए एक व्यापक आउटरीच कार्यकम, व्यापार और कर विभाग द्वारा बनाया गया है। कार्य योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:–

1 क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा बाज़ार/ व्यापार संघों द्वारा नियमित आधार पर उनके साथ बातचीत करके और इस उद्देश्य के लिए संबंधित क्षेत्र में सभी ट्रेड एसोसिएशन को विभिन्न मुद्दों के संबंध में संवेदनशील बनाने के लिए संपर्क किया जा रहा है, जिसमें सभी के लिए पंजीकरण, बिल, कर दरों और एचएसएन आधार पर आइटम कोड का विवरण शामिल है।

2 ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, जहां वैट शासन में अधिकांश डीलर छूट वाले सामान का व्यापार कर रहे थे और जो अब जीएसटी शासन में कर योग्य श्रेणी के तहत आते हैं, एवं उन्हें जीएसटी के तहत पंजीकरण की आवश्यकता है।

3 उपर्युक्त के अलावा, प्रमुख ध्यान उन डीलरों/व्यापारीयों पर है जो वैट शासन के 20 लाख के टर्नओवर प्रति वर्ष से नीचे थे, जिनको अब पंजीकरण के लिए संपर्क किया जा रहा है क्योंकि यह विभिन्न लाभों के लिए अब पूर्व–आवश्यकता होगी जैसे कि आईटीसी की उपलब्धता। साथ ही जी एस टी पंजीकृत डीलरों की पंजीकृत डीलरों से व्यापार के लिए प्राथमिकता देने की अवधारणा।

4 जीएसटी सहायता वाहन प्रत्येक क्षेत्र में चल रहे हैं । और क्षेत्रीय अधिकारी ने उन वाहनों को उन क्षेत्रों में चलाने के लिए विस्तृत योजना तैयार की है जहाँ या तो पंजीकरण नहीं किया गया है या व्यापारी वैट से छूट वाले सामान का व्यापार कर रहे हैं ।

RAJESH MISHRA
Special Commissioner
Deptt. of Trade & Taxes
Govt. of NCT of Delhi

5 यह मोबाइल वैन एक स्पीकर सिस्टम तथा पब्लिक एड्रेस सिस्टम से सज्जित है जिन्हें जीएसटी तथा इसके लाभों की जानकारी देने के लिए शहर के विभिन्न भागों में प्रतिदिन चलाया जा रहा है ।

6 ये वैन 11 बजे से 6 बजे तक चल रहे हैं । हर दिन और दिन के दौरान कम से कम तीन प्रमुख स्थान/बाजार स्थानों को कवर किया जाता है और इन वैनों द्वारा जीएसटी के लाभों के बारे में एक पूर्व–दर्ज संदेश सुनाया जा रहा है ।

7 व्यापारियों और जनता के बीच पत्रक वितरित किए जा रहें हैं जिनमें जीएसटी के पॉच विषयों की जानकारी है जैसे कि जीएसटी के लाभ, पंजीकरण, प्रवासन, बिल और रिर्टन ।

8 अगस्त 2017 के महीने में प्रत्येक क्षेत्र में कार्यशालाएं भी आयोजित की जा रही हैं जिसके लिए क्षेत्रीय अधिकारियों ने अपने संबंधित क्षेत्रों के व्यापार संघों के परामर्श से योजनाएं तैयार की हैं । कार्यशालाएं जीएसटी के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन में व्यापारियों को आ रही कठिनाइयों को हल करने का प्रयास करेगी, जिसमें जीएसटी दरों, बिल, रिर्टन दाखिल करने और नये पंजीकरण आदि से संबंधित मुद्दों को शामिल किया जाएगा ।

RAJESH MISHRA, IAS
Special Commissioner
Deptt. of Trade & Taxes
Govt. of NCT of Delhi

Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods	CGST Rate (%)	SGST/ UTGST Rate (%)	IGST Rate (%)
5007	Woven [redacted] or of silk waste	2.5	2.5	5
5104	Garneted stock of wool or of fine or coarse animal hair, shoddy wool	2.5	2.5	5
5105	Wool and fine or coarse animal hair, carded or combed	2.5	2.5	5
5106 to 5110	Yarn of wool or of animal hair	2.5	2.5	5
5111 to 5113	Woven [redacted] or of animal hair	2.5	2.5	5
5201 to 5203	Cotton and Cotton waste	2.5	2.5	5
5204	Cotton sewing thread, whether or not put up for retail sale	2.5	2.5	5
5205 to 5207	Cotton yarn [other than khadi yarn]	2.5	2.5	5
5208 to 5212	Woven fabrics of cotton	2.5	2.5	5
5301	All goods i.e. flax, raw or processed but not spun; flax tow and waste (including yarn waste and garneted stock)	2.5	2.5	5
5302	True hemp (Cannabis sativa L), raw or processed but not spun; tow and waste of true hemp (including yarn waste and garneted stock)	2.5	2.5	5
5303	All goods i.e. textile bast fibres [other than jute fibres, raw or processed but not spun]; tow and waste of these fibres (including yarn waste and garneted stock)	2.5	2.5	5
5305 to 5308	All goods [other than coconut coir fibre] including yarn of flax, jute, other textile bast fibres, other vegetable textile fibres; paper yarn	2.5	2.5	5
5309 to 5311	Woven [redacted], paper yarn	2.5	2.5	5
5407, 5408	Woven fabrics of manmade textile materials	2.5	2.5	5
5512 to 5516	Woven fabrics of manmade staple fibres	2.5	2.5	5
5705	Coir mats, matting and floor covering	2.5	2.5	5

Sl. No.	COMMODITY
48	**<u>01.04.2005 to 10.05.2005</u>** Textiles but not including imported varieties of textiles. **<u>11.05.2005 to 07.04.2011</u>**[1] Textile as described from time to time in Column III of the Schedule to the Additional Duty on Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 but not including Bed sheet, pillow cover and other made-ups covered by HSN entry nos. 63.01, 63.02, 63.03, 63.04, 63.05 and 63.06 and imported varieties of textiles. **<u>08.04.2011 to 20.06.2011</u>**[11] Textile as described in the First Schedule to the Additional Duty on Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 before its omission by the Govt. of India to give effect to section 75 of the Finance Bill, 2011 but not including – (i) bed-sheets, pillow covers and other made ups covered by HSN entry nos. 63.01, 63.02, 63.03, 63.04, 63.05 and 63.06. (ii) imported varieties of textiles. (iii)(a) industrial textiles such as canvass belt, filter cloth etc. (b) furnishings other than handloom furnishings. (c) suitings. **<u>21.06.2011</u>**[12] Textile as described in the First Schedule to the Additional Duty on Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 before its omission by the Govt. of India to give effect to section 75 of the Finance Bill, 2011 but not including – (i) bed-sheets, pillow covers and other made ups covered by HSN entry nos. 63.01, 63.02, 63.03, 63.04, 63.05 and 63.06. *(for HSN Entries – Refer Annexure I given after the Schedules in this Chapter D-1)* (ii) imported varieties of textiles. (iii)(a) industrial textiles such as canvass belt, filter cloth etc. (b) furnishings having sale price of more than Rs. 100/- per meter or per piece or per set, as the case may be, other than handloom furnishings. (c) Suiting having sale price of more than Rs. 500/- per meter.
49	**<u>01.04.2005 to 10.05.2005</u>** Tobacco excluding Gutkha and imported varieties of tobacco. **<u>11.05.2005 to 13.05.2007</u>**[1] Tobacco as described from time to time in Column III of the Schedule to the Additional Duty on Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 but not including gutkha and imported varieties of tobacco.

Notifications reference has been given at the end of this Schedule

Sl. No.	COMMODITY
51 (contd...)	**14.03.2006 to 31.03.2013**[6] Plastic footwears (other than those specified in the First Schedule) including moulded plastic footwears, hawai chappals and straps thereof. **01.04.2013 to 09.05.2016**[18] Omitted **10.05.2016**[22] All types of footwear as are specifically not covered by any other entry of any of the Schedules to the Act.
52	**01.04.2005 to 29.11.2005** Printed material including diary, calendar etc. **30.11.2005**[5] Printed material including diary, calendar.
53	**01.04.2005** Printing ink excluding toner and cartridges.
54	****
55	**01.04.2005** Pulp of bamboo, wood and paper.
56	**01.04.2005 to 10.05.2005** Rail coaches engines and wagons. **11.05.2005**[2] Railway coaches, engines, wagons and part thereof.
57	**01.04.2005 to 10.05.2005** Readymade garments. **11.05.2005 to 31.03.2010**[2] Readymade garments but not including those made of khadi. **01.04.2010 to 09.05.2016**[11] Readymade garments costing upto rupees five thousand but not including those made up of khadi. **10.05.2016**[22] Readymade garments but not including those made of khadi.
58	**01.04.2005** Renewable energy devices and spare parts.
59	**01.04.2005** Safety matches other than hand-made safety matches.
60	**01.04.2005 to 10.05.2005** Seeds. **11.05.2005**[2] Omitted

Notifications reference has been given at the end of this Schedule